उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 70/2020/1097/92-2-20-18एम/2018
लखनऊ:: दिनांक:: 04 जून 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 03 प्रमुख मार्गो के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 18-04-2019 व 20-05-2019 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1302/ 92-2-19-18एम/2018 दि0 24.06.2019 द्वारा श्री राजित राम, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-945/ दि0 11-11-2019 द्वारा श्री राजित राम को व्यक्तिगत/ मौखिक सुनवाई हेतु दि0 14-11-2019 की तिथि निर्धारित किया गया। जिसके क्रम में श्री राजित राम द्वारा न तो जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुये और न ही कोई सूचना/बचाव उत्तर प्रेषित किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) के पत्र सं0-1067/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/जन0-भदोही/ एस0टी0-271/19-20 दिनांक 10-12-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री राजित राम पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से आरोप सं0-1 व 2 स्थापित न होने तथा आरोप सं0-3 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र सं0-2886/92-2-19-18एम/18 दि0 13-12-2019 से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत श्री राजित राम का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्रसं0-2115/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/भदोही/पीआईयू/19-20 दि0 01-01-2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-2

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जी0टी0 रोड से त्रिलोकपुर महथुवा जगदरी असनांव तक सम्पर्क मार्ग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिये जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में नहीं किया गया, निंग मैटेरियल निर्धारित मानक से अधिक प्रयुक्त किया गया। योजना की दिशा निर्देश के विपरीत कम चौडाई में रोड वे का कार्य कराया गया। गुणवत्ता विहीन मिटटी से अधोमानक कार्य कराया गया तथा मार्ग पर पूर्व निर्मित पुलिया की चौडाई को योजना के मानक के अनुसार मार्ग के एलाईमेंट के अनुरूप नही बढाया गया। इस प्रकार से आप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक कार्य करवाने, कार्य एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के लिये उत्तरदायी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा कोई बचाव उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों/पठनीय साक्ष्यों के आधार पर निर्माण कार्य में जी-2 एवं जी-3 की ग्रेडिंग मानक के अनुसार न होने के आधार पर आरोप आंशिक रूप से स्थापित होना उल्लिखित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

1- प्रखण्ड-सोनभद्र के साथ-साथ पीआईयू-संतरविदास नगर (भदोही) का कार्यभार उनके द्वारा दि0 31.08.2018 को ग्रहणिकया गया था, जबकि इस मार्ग का निर्माण कार्य एक वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ होकर काफी समय से स्थगित था, जिसे विभिन्न स्तर पर समन्वय बनाकर प्रारम्भ कराया गया। कार्यावधि के मध्य ही प्रयागराज का कुम्भ मेला होने के कारण मौनी अमावस्या के प्रमुख पर्व पर यातायात का डायवर्जन इस मार्ग पर हो गया था, जिसका उल्लेख टी0ए0सी0 की जांच आख्या में किया गया है।

चूंकि जी0-2 एवं जी0-3 का कार्य मैनुअली होता है तथा काफी समय से कार्य रूका होने के कारण तथा कुम्भ के सघन यातायात डायवर्जन होने पर जी0-3 के कार्य को कई बार विभिन्न चैनेज पर ठीक भी कराना पडता था। स्क्रीनिंग मैटेरियल एवं जी0-3 पत्थर की ग्रेडिंग मजदूरो द्वारा यातायात के बढे घनत्व (कुम्भ मेला) की अवधि में होने के कारण मानवीय चूक की सम्भावना बनी रहती है। जी0-3 के पत्थर की ग्रेडिंग का प्रभावित होना भी इसी परिधि में आता है, जो मात्र **Indidental** ही हो सकती है।

2- इसी क्रम में अवगत कराना है कि इसी मार्ग के चैनेज 2.540 किमी0 पर एस0क्यू0एम0 श्री एम0एम0 रिजवी द्वारा दि0 23.12.2018 को चेक किया गया था, जिसमें जी0-2 एवं जी0-3 पत्थर की ग्रेडिंग एवं मोटाई मानक के अनुरूप पायी गयी थी। इस प्रकार उनके अधीन कराये गये चैनेज में 2.540 किमी0 पर एस0क्यू0एम0 द्वारा एवं चैनेज 2.630 किमी0, चैनेज 2.660 किमी0, चैनेज 2.690 किमी0, टी0ए0सी0 द्वारा चेक किये गये है, जिसमें सभी अवयव मानक के अनुरूप पाये गये है, केवल चैनेज 2.630 किमी0 पर जी0-3 के पत्थर की एक ग्रेडिंग अकुशल मजदूरों एवं यातायात की सघनता के कारण **Indidental** है।

3-अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त माधो सिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड निर्माण कार्य में टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 18-04-2019 के अनुसार 03 स्थानों की चेकिंग में एक स्थान पर निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-2 का कार्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार न कराये जाने का आरोप आंशिक रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थापित होना पाया गया है। अतएव श्री राजित राम तत्का0 अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पीआईयू-भदोही सम्प्रति प्रखण्ड-झॉसी के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद-संतरविदास नगर (भदोही) में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत माधो सिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड निर्माण कार्य की चेकिंग में निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-2 का कार्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार न कराये जाने की अनियमितता हेतु वर्ष 2020-21 के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है। "

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-70 /2020/1097 /(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
2- श्री राजित राम, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, पीआईयू-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति अधिशासी अभियंता प्रखण्ड-झॉसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।